

22/09/17

पुनरीक्षणकर्ता शिवनारायण सहित श्री अशोक पचौरी
अधिवक्ता उप०, वकालतनामा पेश।

प्रतिपुनरीक्षणकर्ता क्र० 4 द्वारा श्री ए०एस० राणा
अधिवक्ता उप०।

शेष प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण अनिर्वाहित।

पुनरीक्षणकर्ता शिवनारायण ने व्यक्त किया कि वह इस
पुनरीक्षण को बल नहीं देना चाहते हैं। बल न देने से पुनरीक्षण
निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

चूँकि पुनरीक्षणकर्ता अपनी पुनरीक्षण पर बल नहीं देना
चाहता है, अतः यह पुनरीक्षण बल न देने के कारण निरस्त की
गयी।

प्रकरण का नतीजा दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जाये।

22-09-17

(मोहम्मद अजहर)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला मिण्ड म०प्र०